न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 19–1/2018

रामकरण पुत्र केसरीलाल जाति मीणा निवासी पापडली तहसील मांगरोल जिला बारां

वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

1. दयालनाथ पुत्र धूलीनाथ
2. सुरेन्द्रनाथ पुत्र दयालनाथ
3. नरेन्द्र नाथ पुत्र दयालनाथ
4. जशोदा बाई पत्नि मुरलीधर जाति मीणा
5. मूरलीधर पुत्र हीरालाल जाति मीणा

निवासी गण पापडली तह0 मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार सिधंव (आर.ए.एस.)

वकील वादी : श्री अजीत कुमार जैन

वकील प्रतिवादी : श्री विरेन्द्र सिंह

दायर दिनांक–10.04.2018

निर्णय दिनांक : 14.12.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उक्त उनवान के प्रकरण संख्या 41/2009 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा सुनाये गये निर्णय दिनांक 11.05.2017 की अपील माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील संख्या 125/2017 दर्ज दिनांक 31.07.2017 से प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील संख्या 125/2017 में माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 23.01.2018 को निर्णय सुनाया गया। माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.05.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्राप्त हुआ कि तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें।

माननयी माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 125/2017 दर्ज दिनांक 31.07.2017 सुनाये गये निर्णय दिनांक 23.01.2018 की पालना में

8757

दावा दिनांक 10.04.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की शामलाती खाते की आराजी ग्राम पापडली में साबिक खसरा नं0 186 हाल खसरा नं0 493 रकबा 0.54 है0 आवंटन हुई थी उसी के अनुरूप नामा0 संख्या 288 दिनांक 12.02.2009 से वादी के नाम बतौर खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अंकन हुई वादी उक्त खसरा नं0 493 रकबा 0.54 है0 भूमि पर काबिज काश्त है। इसी भूमि से लगवा वादी की काश्त व खातेशुदा आराजी खसरा नं0 485/759 रकबा 1.60 है0 भूमि स्थित है। वादी ने अपने काश्त शुदा आराजी खसरा नं0 485/759 रकबा 1.60 है0 में से 0.64 है भूमि प्रतिवादी कम 4 जशोदा बाई पत्नि मूरलीधर मीणा को बैचान कर दी है। उसी के अनुरूप इंतकाल नं. 256 से 0.64 है0 भूमि प्रतिवादी नं0 4 के नाम बतौर खातेदार दर्ज हो गयी है। तथा प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 जबरन वादी की काश्त व खाते की आराजी खसरा नं0 493 पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। व प्रतिवादी नं. 4 ता 5 वादी द्वारा बैचान की गयी 0.64 है0 भूमि से अधिक भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। अतः निवेदन है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न डिक्री पारित फरमावें कि प्रतिवादी कम 1 ता 3 को वादी की काश्तशुदा आराजी खसरा नं0 493 रकबा 0.54 है0 ग्राम पापडली में स्थित भूमि से बेदखल कर वादी को कब्जा दिलवाया जावे। तथा प्रतिवादीगण नं. 3 व 4 की 0.64 है0 आराजी के अलावा जबरन कब्जा शुदा आराजी से बेदखल कर वादी को कब्जा दिलवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निशेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी की आराजी खसरा न0 493 रकबा 0.54 है0 व खसरा न0 485/759 रकबा 0.96 है0 वादी के काश्त करने में ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

प्रतिवादी कम 1 ता 3 की ओर से वकील श्री विरेन्द्र सिंह ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसके अनुसारः–

01. वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है।
02. वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है।
03. वाद पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है।
04. वाद पत्र की मद नं0 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
05. वाद पत्र की मद नं0 5 स्वीकार है।
06. वाद पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है।
07. वाद पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है।
08. वाद पत्र की मद नं0 8 अस्वीकार है।
09. वाद पत्र की मद नं0 9 अस्वीकार है।

8757

वाद पत्र की मद नं0 10 व 11 कानूनी है।

विशेष कथन व काउन्टर क्लेमः– काउन्टर क्लेम में कथन किया कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा नं0 493 रकबा 0.54 है0 पर वादी का कब्जा नही होकर प्रतिवादी कम 1 का 0.20 है0 पश्चिमी ओर पर है तथा प्रतिवादी कम 2 ता 3 उसके पुत्रान होने की वजह से काश्तकारी में सहयोग प्रदान करते है प्रतिवादी कम 1 कब्जा लगभग 65 वर्षो से चला आ रहा है। विवादित आराजी के समीप ही प्रतिवादी कम 1 के खाते की आराजी खसरा नं0 494 रकबा 0.86 है0, खसरा नं0 495 रकबा 0.43 है0 स्थित है। विवादित आराजी खसरा नं0 493 रकबा 0.54 है0 कब आवंटन हुयी इसकी जानकारी प्रतिवादी कम 1 ता 3 को पूर्व में नही थी। न्यायालय द्वारा इत्तला जाने पर उसके बाद नकले लेने पर प्रतिवादी कम 1 ता 3 को जानकारी हुयी। लिहाजा प्रतिवादी नं0 1 एडवर्स पजेशन के आधार पर विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 493 रकबा 0.20 है0 का खातेदार घोषित होने का अधिकारी हैं तथा स्थायी निषेधाज्ञा वादी के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्त प्रतिवादी के जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पर वादी द्वारा जवाब–उलजवाब पेश किया गया। जिसके अनुसारः–

1. काउन्टर क्लेम की मद नं0 1 अस्वीकार है।
2. काउन्टर क्लेम की मद नं0 2 अस्वीकार है।
3. काउन्टर क्लेम की मद नं0 3, 4, 5, 6 व 7 अस्वीकार है।

एवं निवेदन किया है कि प्रतिवादी कम 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम विशेष खर्चा सहित खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में प्रतिवादी कम 1 ता 3 कमशः श्री दयाल नाथ पुत्र धूलीनाथ जाति नाथ निवासी पापडली उम्र 70 वर्ष, श्री सुरेन्द्र नाथ व श्री नरेन्द्र नाथ पुत्रान दयाल नाथ ने न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त शपथ पत्र में प्रतिवादी कम 1 ता 3 द्वारा उन्ही तथ्यों का अंकन किया जिसका जिक प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावा व काउन्टर क्लेम में किया गया। प्रतिवादी कम 1 ता 3 द्वारा अपने पक्ष में कमशः श्री कान्ह सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत उम्र 80 वर्ष निवासी गोदावरी व श्री बिरधा नाथ पुत्र धूला नाथ जाति नाथ उम्र 81 वर्ष निवासी पापडली के बयान करवाये। जो शामिल पत्रावली है जिसके अनुसार ग्राम पापडली की आराजी खसरा नं0 493 रकबा 0.20 है0 पर प्रतिवादी कम 1 का कब्जा व काश्त लगभग 65 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है।

8757

न्यायालय ने उभय पक्ष वकील वादी श्री अजीत कुमार जैन व वकील प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 श्री विरेन्द्र सिंह की बहस सुनी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का भी ध्यान से अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष जो बहस की गयी है। वकील वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित कथनो को ही अपनी बहस में दोहराया है वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा एवं काउण्टर क्लेम में उल्लेखित विशेष निवेदन का हवाला दिया है। अतः उभयपक्ष की बसह एवं पत्रावली में उप्लब्ध वादी/प्रतिवादी के साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेजो का मनन करते हुये वाद वादी आंशिक रूप से इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि वादी की ग्राम पापडली की आराजी खसरा नं0 485/759 रकबा 0.96 है0, में प्रतिवादी मजाहमत नही करेंगे। एवं आशिंक रूप से काउण्टर क्लेम प्रतिवादी के हक में स्वीकार किया जाता है कि वादी के आवंटित शुदा आराजी खसरा नं0 493 रकबा 0.54 है0 में से चूकि प्रतिवादी क्रम 1 दयालनाथ पुत्र धूलीनाथ निवासी पापडली का लगभग 65–70 वर्षो से अर्थात 01.10.1955 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के लागू होने से पूर्व से ही निर्बाध गति से 0.20 है0 पश्चिम की ओर दिशा में कब्जा काश्त मुताबिक साक्ष्य सबूत एवं शपथपत्र एवं गवाहो के आधार पर सिद्ध हो रहा है। जिरह में वकील वादी ने भी उक्त लम्बी अवधि से वादी की आराजी खसरा नं0 493 रकबा 0.54 है0 में से 0.20 है0 भूमि पश्चिम की ओर में प्रतिवादी क्रम 1 का कब्जा होना स्वीकार किया है। अतः काउन्टर क्लेम प्रतिवादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि वादी के खाते से आराजी खसरा नं0 493 रकबा 0.54 है0 में से पश्चिम दिशा की ओर 0.20 है0 भूमि एडवर्स पजेशन वर्ष 1955 से पूर्व का है और आज भी निर्विवादित है। वादी के खाते में से कम करके प्रतिवादी क्रम 1 के नाम खातेदारी में राजस्व रेकार्ड में अंकित की जावे एवं वादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 493 रकबा 0.54 है0 में से पश्चिम दिशा की ओर 0.20 है0 भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे एवं प्रतिवादी नं0 1 को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। तदनुसार डिक्री जारी की जावें।

तहसीलदार मांगरोल वादी की ग्राम पापडली की आराजी खसरा नं0 485/759 रकबा 0.96 है0 में प्रतिवादी महाहमत नही करेंगे। इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की पालना सुनिश्चित करें। एवं आराजी खसरा नं0 493 रकबा 0.54 है0 में से 0.20 है0 पश्चिम दिशा की ओर की भूमि जो वादी के नाम हे में से कम करके प्रतिवादी क्रम 1 दयालनाथ पुत्र धूलीनाथ निवासी पापडली के नाम राजस्व रेकार्ड में टाईटल अंकित कर पालना से अविलम्ब अवगत करावें। निर्णय फैसंल शुमार हो नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।